न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 909—दो/2006 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 31—03—2006 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 468/अपील/1983—84.

.....

चिंतामणि तनय श्रीमोलई प्रसाद गुप्ता
निवासी ग्राम पुरवा 310 तहसील
सिरमौर जिला रीवा म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

1—महावीर तनय श्री दुर्गा बानी
निवासी ग्राम समान व पुरवा 310
तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0
2—राममनोहर तनय जगद्देव पटेल
निवासी ग्राम पुरवा 310 तहसील
सिरमौर जिला रीवा म0प्र0

———अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
अनावेदक पूर्व से एक पक्षीय है

.....

आदेश

(आज दिनांक 12.01.2018 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 31—03—2006 के विरूद्ध मंध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि राजस्व निरीक्षक मण्डल मनगंवा के द्वारा आराजी नंबर 209/1 का रकवा 0.16 का पटट्ा भूमिस्वामी में हम कें अनावेदक क्रमांक–2 का नाम अभिलेखों में अंकित है। इस आराजी कोदिनांक 10.12.55 को अपंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर आवेदक ने नामांतरण की कार्यवाही हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जहां पर दिनांक 27.8.77 को नामांतरण स्वीकार किया गया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक क्रमांक–1 ने अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर जिला रीवा में अपील की जहां पर नायब तहसीलदार के आदेश को निरस्त करते हुये प्रकरण को प्रत्यावर्तित किया गया। प्रत्यावर्तित आदेश के पालन में नायब तहसीलदार ने दिनांक 25.1.82 को आराजी नंबर 209/1 रकवा 0.16 एकड़ का नामांतरण आवेदक के पक्ष में स्वीकार किया। इस आदेश के वियद्व अधीनसी में अपील की गई जहां पर अपील को स्वीकार करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इससे दुखित होकर द्वितीय अपील अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा दिनांक 31.3.06 को निरस्त की गई इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अनावेदक क्रमांक–1 का कब्जा 0.75 एकड़ पर साक्ष्य में प्रमाणित है तथा यह भी प्रमाणित है कि 0.05 एकड़ रकवे पर रामसुन्दर का कब्जा था । अनावेदक क्रमांक –1 के पिता दुर्गा दास ने दिनांक 29.3.57 को पंजीकृत बेचीनामा के माध्यम से अनावेदक क्रमांक–1 को नाबालिक हालत में ही क्रय कर कब्जा दखल भी प्राप्त कर लिया था। आवेदक के भूमि खसरा नंबर 209 के अंश भाग 0.16 एकड़ का अपंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 22.12.55 को निष्पादन कराया और इसी आधार पर नामंतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो स्वीकार हुआ जिसे अपील होने पर निरस्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना है कि 0.16 एकड़ पर आवेदक का कब्जा नहीं हैं बल्कि 0.11 एकड़ पर कब्जा है। अनुविभागीय अधिकारी ने विधिवत विवेचना करते हुये आदेश पारित किया है।

4– मेरे द्वारा अभिलेख का परिशीलन किया गया । विवादित भूमि के भूमिस्वामी राममनोहर थे। राममनोहर ने ही विवादित आराजी को अलग–अलग टुकड़ों में आवेदक व अनावेदकगमांक–1

को बिकी किया था। क्या विक्रय पत्र भी अलग–अलग निष्पादित कराया गया था? अनावेदक को विक्रय किये गये रकवे का नामांतरण अनावेदक के नाम से किया जा चुका था तथा शेष रकवे को आवेदक के नाम कच्ची बेची टीप लिखा गया था। दोनों टुकड़ों के खसरा नंबर एक ही थे, लेकिन रकवे अलग–अलग थे। राममनोहर ने आवेदक को अपंजीकृत विक्रय टीप के आधार भूमि कमा अंतरण किया, किंतु कब्जा टीप के अनुसार नहीं पाया गया। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 50 के अनुसार कब्जा दिया जना प्रमुख शर्त होती है। चूंकि आवेदक का विवादित आराजी में विक्रय पत्र के आधार पर 0.11 एकड़ पर कब्जा पाया था। अतः उतने रकवे पर कब्जा माना जायेगा तथा इतने अंश का ही भूमिस्वामी होगा। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इसी आधार पर तहसीलदार के आदेश को निरस्त किया था जो विधि प्रावधानों से उचित था। अपर आयुक्त रीवा द्वारा भी अनुविभागीय अधिकारी का आदेश उचित होने से उनके द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया गया है जिससे मैं सहमत हूँ और अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखने योग्य है।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय अपर आयुक्त रीवा सभाग रीवा के प्रकरण कमांक 468/अपील/1983–84 में पारित आदेश दिनांक 31.03.2006 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर